संख्या– 16 चार–एल / XXXVI(1)/2007-4169/01 Vol-II

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 05 अक्टूबर, 2007

विषय– श्री सुशील कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला नैनीताल का कार्यकाल बढ़ाया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 194 / 18 –न्या0सहा0 / 2007 दिनांक 08 अगस्त, 2007 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला नैनीताल के कार्यकाल समाप्ति की तिथि 17.10.2007 से अग्रेत्तर 5 वर्ष की अवधि अर्थात 16.10.2012 तक कार्यकाल रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), के पद पर उनकी आबद्धता समाप्त कर सकती है तथा श्री सुशील कुमार शर्मा, इस आशय का सहमति प्रमाण–पत्र भी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगें कि उन्हें इस शर्त में कोई आपत्ति नहीं है ।

4. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव,

संख्या–16(1) / चार–एल / XXXVI(1)/2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला न्यायाधीश, नैनीताल ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– सम्बन्धित अधिवक्ता ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी / एन0आई0सी0 / गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,